

## Application Form For Allotment of Plots/Sheds In Industrial Areas/Estates Growth Centers of SIDA

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में एवं विकास केन्द्रों में भूखण्डों/निर्मित शेडों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र

**Note-** The applicant is required to read the terms and conditions from pages 5 to 10 carefully and to fill each columns and give specific information and thereby help the Authority in speedy consideration of his application. Applications with incomplete information will unnecessarily delay their processing.

**नोट-** आवेदक से अनुरोध है कि वे कृपया पृष्ठ 5 से 10 पर वर्णित शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें और प्रत्येक स्तम्भ को भरें एवं वांछित सूचना देकर आवेदन पर त्वरित विचार करने में प्राधिकरण की सहायता करें। अपूर्ण सूचना वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

**To,**

**The Chief Executive Officer,**  
Sathariya Industrial Development Authority,  
Sathariya, JAUNPUR

Dear Sir/ प्रिय महोदय,

I apply for a plot/shed in Industrial Area/Estate of SIDA. I am agreeable/ not agreeable for a plot being allotted in any nearby Industrial Area. The details are given below :

मैं प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान में भूखण्ड/निर्मित शेड के आवंटन हेतु आवेदन करता हूँ। यदि मुझे किसी अन्य निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन होगा तो वह मुझे स्वीकार होगा/स्वीकार नहीं होगा। विवरण नीचे दिया गया है।

1. Particulars of the plot

भूखण्ड का विवरण

(a) Name of the Industrial Area in which the plot is required

**SATHARIA**

औद्योगिक क्षेत्र का नाम जिसमें भूखण्ड वांछित है

**सतहरिया**

(b) Total Area of the plot

वांछित भूखण्ड का क्षेत्रफल

-----

2. Full particulars of the applicant i.e., individual/ organization in whose name the plot /shed is required to be allotted.

आवेदक का पूर्ण विवरण यथा व्यक्ति/संगठन जिसके नाम भूखण्ड/निर्मित शेड का आवंटन वांछित है।

-----

-----

(a) If an individual or a sole proprietorship firm, give father's name also.

यदि आवेदक व्यक्ति या एकल स्वामित्व वाली फर्म है, तो पिता का नाम भी लिखें।

-----

-----

- (b) If a partnership firm (give also the names and addresses of partners)  
यदि आवेदक साझेदारी फर्म है तो साझेदारों के नाम और पते भी लिखें। -----  
-----  
-----
- (c) If the proprietor / partner / promotor belongs to scheduled caste/ scheduled tribe, please specify details and attach the relevant certificate in support thereof.  
यदि एकल स्वामी/साझेदार/प्रवर्तक किसी अनुसूचित जाति/जनजाति का हो, तो विवरण दें और पृष्ठ में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें। -----  
-----
- (d) If a Private Limited Company  
क्या आवेदक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? -----
- (e) If a Public Limited Company  
क्या आवेदक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है? -----
- (f) If a Govt. Company or a Company in the Co operative Sector  
क्या सरकारी कंपनी है या सरकारी क्षेत्र की कंपनी है? -----  
-----
3. Full name and address of the person signing the application and his status/ relationship with the applicant.  
आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता और प्रस्थिति/आवेदक से उसका सम्बन्ध। -----  
-----
- (a) Name / नाम -----
- (b) Age / आयु -----
- (c) Present Address  
वर्तमान पता -----
- (d) Permanent Address  
स्थायी पता -----
- (e) Status/ Relationship  
प्रस्थिति/आवेदक के सम्बन्ध -----
4. Type of industry proposed to be set up (enclose project report describing briefly the salient features of the industry)  
किस प्रकार के उद्योग को स्थापित करना प्रस्तावित है? (प्रस्तावित उद्योग की मुख्य विशेषताएँ देते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें) -----  
-----
5. (a) Estimated cost of the project  
परियोजना की अनुमानित लागत -----
- (b) Estimated employment generation  
अनुमानित रोजगार सृजन -----
6. (a) Proposed layout plan of land  
Indicating broadly :

भूमि का प्रस्तावित तलपट मानचित्र जिसमें मोटे तौर से निम्नलिखित दिखाया गया हो—

(i) Covered Area/आच्छादित क्षेत्रफल

(ii) Open area required and its purpose  
वांछित खुला क्षेत्रफल और उसका उद्देश्य।

Note: A copy of proposed layout plan must be attached.

नोट— प्रस्तावित तलपट मानचित्र की प्रतिलिपि संलग्न करें।

7. Details of the proposed investment may be given on the following items :-

निम्नांकित मदों पर प्रस्तावित पूंजी विनियोजन का विवरण दें :-

(a) Land / भूमि

(b) Building / भवन

(c) Machinery and equipment (also attach list)

मशीनें तथा उपकरण (सूची संलग्न करें)

8. Will any fumes be generated in the process of manufacture and if so, their nature and quantity.

क्या उत्पादन क्रिया में कोई गैस उत्पन्न होगी ? यदि हां, तो उसकी प्रकृति और मात्रा बतायें।

9. Industrial effluents / औद्योगिक उत्स्रवाह

Name नाम	Quantity मात्रा	Chemical Composition रासायनिक संरचना
----------	-----------------	--------------------------------------

(i) Liquid/ द्रव

(ii) Solid/ ठोस

(iii) Gaseous/ वाष्पीय

10. Proposed Effluent Treatment measures

उत्स्रवाहों के शोधन के प्रस्तावित तरीके

11. Power requirement (in KW)

विद्युत शक्ति की आवश्यकता (किलोवाट में)

Telephone/Telex requirement टेली फोन/टेलेक्स की आवश्यकता	Number of telephone connections टेली फोन संयोजनों की संख्या	Number of telex connections टेलेक्स संयोजनों की संख्या
---	--	---

First Year / प्रथम वर्ष

Ultimate requirement

कुल आवश्यकता

13. Amount and other details of the Bank Drafts enclosed towards non-adjustable, non-refundable, Application Fee and Earnest Money. Application fee of Rs. 100/- for land and Rs 200/- in case of shed and Earnest Money at the rate given in the annexed Table.

न समायोजित किये जाने वाले , न लौटाये जाने वाले आवेदन शुल्क सहित धरोहर धनराशि के संलग्न बैंक ड्राफ्ट की कुल धनराशि, उसकी संख्या, तिथि तथा अन्य विवरण। भूखण्ड हेतु आवेदन शुल्क रू० 100/- और निर्मित शेड हेतु रू० 200/- है। धरोहर धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार देय है।

Amount/ धनराशि -----  
Bank Draft No./ बैंक ड्राफ्ट संख्या -----  
Date / दिनांक -----  
Payable at / कहां भुगतान मिलेगा -----

The information given in the above application is true to the best of my knowledge and belief and the general conditions for allotment of plot/shed and grant of lease indicated, in this application form for allotment of plots / sheds in Industrial Area have been read carefully and understood by me and are fully acceptable to me. I further agree to abide by all changes made in the general conditions by SIDA from time to time.

ऊपर आवेदन में दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैंने इस आवेदन पत्र में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों/निर्मित शेडों के आवंटन सम्बन्धी सामान्य शर्तों को सावधानी से पढ़ा और समझा है जो मुझे पूर्णतया स्वीकार है। साथ ही इन सामान्य शर्तों में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किये गए अन्य सभी परिवर्तन मुझे स्वीकार है जिसका मैं पालन करूंगा।

Date/ दिनांक

Signature of the applicant

आवेदक के हस्ताक्षर

# GENERAL CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF PLOTS/SHEDS AND GRANT OF LEASE

## भूखण्डों/निर्मित शेडों के आवंटन तथा पट्टा देने की सामान्य शर्तें

1. Every application for allotment of plot (s), shed (s) should be made in duplicate on the prescribed Application Form accompanied by Earnest Money and application fee of Rs. 100/- for land (Rs. 200/- in the case of shed) payable in favour of Satharia Industrial Development Authority alongwith the documents mentioned below. The application fee is non-refundable and non-adjustable.

भूखण्ड एवं निर्मित शेडों हेतु आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। उसके साथ बयाना धनराशि तथा ₹ 100/- (निर्मितक शेड के लिये ₹ 200/-) आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट भी संलग्न किया जाय जो 'सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण' के पक्ष में देय हो। आवेदन शुल्क न तो लौटाया जायेगा और न ही समायोजित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी (दो प्रतियों में संलग्न किए जाने चाहिए।

- (i) Brief Project Report/ संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन।
- (ii) Proposed land utilization plan/ प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र।
- (iii) Copy of Partnership Deed/Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation, whichever is applicable.

साझेदारी विलेख/संस्था की नियमावली व अर्न्तनियम तथा निगमन प्रमाण पत्र जो भी संगत हो, की प्रतिलिपि।

2. The plot are allotted in the Industrial Area on 'as is where is' basis and leveling etc. If necessary is to be undertaken by the allottee himself at his own expense. Arrangements for the discharge of industrial effluents have also to be made by the allottees themselves according to the laws in force and rules made thereunder from time to time.

औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड 'जैसा है जहां है' आधार पर आवंटित किए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार समतल कराना आदि कार्य आवंटियों को अपने खर्च पर कराने होंगे। प्रचलित विधि तथा उसके अधीन समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार औद्योगिक उत्प्रवाह के विसर्जन की व्यवस्था भी आवंटियों को स्वयं करनी होगी।

3. SIDA does not normally provide facilities for housing in the Industrial Areas but subject to rules and bye-laws of local bodies, if any, 6% of the total plotted area or 10% of the covered area, whichever is less, in the plot at any time can be used for the residence of essential staff only.

सामान्यतः प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय सुविधायें उपलब्ध नहीं कराता है, परन्तु स्थानीय निकायों के नियमों तथा उपनियमों के अन्तर्गत किसी समय भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के 6% या अच्छादित क्षेत्रफल के 10% जो भी कम हो, पर अनिवार्य कर्मिकों के लिए आवास बनाये जा सकते हैं।

4. SIDA reserves the right to make its own assessment of the requirement of land and is not bound to make allotment according to the demand made in the application. However, if the difference in the area allotted by the authority, and the area demanded is more than 20%, the allottee may refuse the allotment without loss of Earnest Money if such refusal is communicated within the time allowed in the allotment letter to deposit the allotment money.

भूमि की आवश्यकता के आंकलन का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और वह आवेदन पत्र में दी गई मांग के अनुसार आवंटन करने को बाध्य नहीं है। फिर भी, यदि मांगी गई भूमि और निगम द्वारा आवंटित भूमि में 20% से अधिक अन्तर हो तो आवंटी आवंटन अस्वीकार कर सकता है और ऐसी दशा में उसे धरोहर धनराशि की हॉनि नहीं होगी बशर्ते कि आवंटन पत्र में आवंटन धनराशि के जमा करने की तिथि तक उक्त अस्वीकृति सूचित कर दी जाये।

5. Plots in the Industrial Area will be given on lease for a total period of ninety years.  
औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड 90 साल के लीज पर दी जाएगी।

6. The applicant will have to abide by the terms and conditions of the allotment letter, and the Lease Deed and such other terms as are laid down by the SIDA from time to time.

आवेदक को आवंटन पत्र तथा पट्टा विलेख की शर्तों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लगाई गई अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

7. The allottee will be required to deposit the allotment money which would be 10% to 25% of the total premium of the allotted land, depending on the Industrial Area after adjusting the Earnest Money, within the time stipulated in the allotment letter. In the event of failure to deposit the allotment money, within the stipulated period the allotment shall stand automatically cancelled and the Earnest Money shall stand forfeited to the SIDA. The allottee will be required to execute Lease Deed in the prescribed form. In case the allottee does not execute Lease Deed when asked by SIDA it will have the right to cancel the allotment and forfeit the deposits of the allottee as per clause 18 below .

आवंटी को आवंटन पत्र में दी हुई निर्धारित तिथि तक आवंटन धनराशि जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवंटित भूमि के कुल प्रीमियम के 10% से 25% तक होगी, धरोहर धनराशि के समायोजन के बाद जमा करनी होगी। आवंटन पत्र में दी गई निर्धारित तिथि तक आवंटन धनराशि जमा न किये जाने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा और धरोहर धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त हो जायेगी। आवंटी को निर्धारित प्रपत्र पर पट्टा विलेख निष्पादित करना होगा। यदि प्राधिकरण द्वारा कहे जाने के बाद भी आवंटी पट्टा विलेख निष्पादित नहीं करेगा तो प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने और नीचे प्रस्तर 18 के अनुसार आवंटी द्वारा जमा धनराशि जब्त करने के अधिकार होंगे।

8. The allottee shall have to take over possession of the land executing the lease deed within 30 days from the date of inviting him to do so or within 3 months from the date of allotment whichever is earlier.

आवंटी को आवंटन के 3 महीने के अन्दर अथवा उन्हें बुलाये जाने के 30 दिन के अन्दर जो भी पहले हो पट्टा विलेख निष्पादित करके आवंटित भूमि का कब्जा ले लेना होगा।

If the allottee fails to take over possession of the allotted plot within the period stipulated above the allotment shall stand automatically cancelled and the deposits forfeited as per clause 17 below unless extension in time is granted by the Chief Executive of the Authority on the grounds of extra ordinary circumstances beyond the control of the allottee, provided allottee's request in this regard is received well within the stipulated period.

यदि आवंटी निर्धारित अवधि के भीतर आवंटित भूमि का कब्जा नहीं ले लेगा, तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा और नीचे दिये प्रस्तर 17 के अनुसार जमा धनराशियां जब्त हो जायेंगी जब तक कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आवंटी के नियन्त्रण के बाहर की असाधारण परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित अवधि न बढ़ा दें, बशर्तें समय बढ़ाने हेतु अनुरोध निर्धारित समयावधि समाप्त होने से काफी पहले प्राप्त हो गया हो।

9. Within the time period stipulated in Lease Deed, the allottee will have to commence the construction of factory building, complete the same by covering at least 30% of the area of the plot by roof / permanent shed as also install machinery and plant, and start commercial production therein, failing which allotment of plot is liable to be cancelled with forfeiture of deposits as per clause 17 below .

पट्टा विलेख में निर्धारित समयावधियों के भीतर आवंटी को भूखण्ड पर कारखाना-भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा, आवंटित क्षेत्रफल के कम से कम 30% को छत/स्थायी शेडक से अच्छादित करते हुए निर्माण कार्य पूरा करके मशीनों और संयंत्र को लगाना होगा और इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देना होगा अन्यथा आवंटन निरस्तीकरण योग्य होगा और तब नीचे प्रस्तर 17 के अनुसार जमा धनराशियां जब्त हो जायेगी ।

10. The allottee will pay use and occupation charges/ lease rent of allotted land at the rate of Rs. 2000/- per sq. hectare per year during the first thirty years, Rs. 5000/- per hectare per year during the next thirty years after expiry of the first thirty years and Rs. 1000/- per hectare per year during the next thirty after expiry of first sixty years .

आवंटी पहले 30 वर्ष की अवधि में 2000/- प्रति हेक्टेयर वार्षिक, पहले 30 वर्षों की समाप्ति के बाद अगले 30 वर्ष की अवधि में रू 5000/- प्रति हेक्टेयर वार्षिक और 60 वर्षों की समाप्ति के बाद अगले 30 वर्ष की अवधि में रू 10000/- प्रति हेक्टेयर वार्षिक की दर से आवंटित भूमि का उपयोग शुल्क/लीज रेंट अदा करेगा ।

11. The transfer of plot (s) shall not be permitted except in the cases which are permissible without the payment of transfer levy under the existing policy of SIDA.

जिन स्थितियों में प्राधिकरण की प्रचलित नीति के अनुसार हस्तान्तरण शुल्क अदा किये बिना भूखण्ड का हस्तान्तरण अनुमत्त है, के अतिरिक्त भूखण्ड के हस्तान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

12. The stamp duty, registration charges and legal expenses involved in the execution of Agreement, sale Deed, lease Deed, etc. will have to be borne by the allottee.

आवंटी को अनुबन्ध, विक्रय विलेख, पट्टा विलेख, आदि के निष्पादन के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क, निबन्धन शुल्क तथा विधिक व्यय का भार वहन करना होगा ।

13. The interest at the prevailing rates which are subject to revision at any time without notice, is to be calculated on the total balance premium outstanding from time to time and is payable half yearly subject to rebate if the payments are made on or before the due dates and there are no arrears of SIDA ration dues in the event of non-payment of dues, the allotment is liable to be cancelled with consequences stated in clauses 17 below .

प्रचलित दर जिसे किसी पूर्व सूचना के बिना किसी समय भी पुनरीक्षित किया जा सकता है, के अनुसार समय-समय पर कुल शेष प्रीमियम पर हर छमाही ब्याज देय होगा जिसमें छूट अनुमत्त होगी बशर्ते नियत तिथि को या उसके पूर्व भुगतान कर दिया गया है और आवंटी पर प्राधिकरण का कोई देय बकाया न हो । देयों की अदायगी न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्तीकरण योग्य होगा जिसका प्रभाव नीचे प्रस्तर 17 के अनुसार होगा ।

14. The total balance premium together with the stipulated interest will continue to be first charge on the allotted plot till fully paid.

कुल शेष भूमि प्रीमियम तथा उस पर निर्धारित दर से देय ब्याज तब तक भूखण्ड पर प्रथम प्रभार बने रहेंगे जब तक ये पूरे अदा नहीं हो जाते ।

15. The date of the allotment letter will be the date of allotment of the plot.

आवंटन पत्र की तिथि ही भूखण्ड के आवंटन की तिथि होगी ।

16. The payments made by the allottee/ licensee / lessee shall, be first adjusted towards the interest due if any then towards the premium due, if any, and balance, if any, towards lease rent / use and occupation charges.

आवंटी/अनुज्ञप्ति धारक/पट्टेदार द्वारा किये गये भुगतान की धनराशि का समायोजन सर्वप्रथम ब्याज की मद में, यदि देय हो, तत्पश्चात् भूमि प्रीमियम की मद में, यदि देय हो, और अवशिष्ट, यदि कुछ हो, लीज रेन्ट/उपयोग शुल्क की मद में किया जायेगा।

17. In the event of cancellation of allotment on account of any default on the part of the allottee, the following amounts will stand forfeited to SIDA.

यदि आवंटी की किसी त्रुटि के कारण आवंटन निरस्त हो जाता है, तो निम्नलिखित धनराशियां सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में जब्त हो जायेगी।

- (a) Interest calculated from the date of allotment to the date of cancellation on Total balance premium from time to time without any rebate in interest whether or not payments were made by the due dates :

समय-समय पर शेष कुल भूमि प्रीमियम पर आवंटन की तिथि से निरस्त होने की तिथि तक ब्याज जिसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे भुगतान निर्धारित तिथि तक ही क्यों न कर दिये गये हों।

AND/ तथा

- (b) Use and Occupation Charges / Lease Rent, Maintenance charge, water Maintenance charge etc. from the date of allotment upto the date of cancellation :

आवंटन की तिथि से आवंटन निरस्त होने की तिथि तक भू-उपयोग शुल्क/लीज रेन्ट, रख-रखाव शुल्क, जल रख-रखाव शुल्क आदि।

AND/ तथा

- (c) In the case of constructed sheds allotted by SIDA 5% of the cost of the shed towards depreciation.

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं आवंटित शेडों की दशा में निर्मित शेड के कुल मूल्य का 5% मूल्य हास्य स्वरूप।

The balance of deposits, if any, after adjusting the amount aforesaid in sub-clauses (a) and (b) and also (c), if applicable, will be refundable. In case the total deposits of the allottee fall short of the total of the above deductions, the allottee is liable for payment of the balance which would be recoverable by SIDA from him.

ऊपर उप-प्रस्तर (अ) तथा (ब) और, यदि संगत हो तो, (स) के अनुसार धनराशियां समायोजित करने के बाद आवंटी द्वारा जमा धनराशियों में से जो भी शेष बचेगा वह उसे लौटाया जा सकेगा। यदि आवंटी द्वारा जमा कुल धनराशियां उपर्युक्त ढंग से काटी जाने वाली धनराशियों के योग से कम हुई तो इन दोनों के अन्तर को अदा करने का दायित्व आवंटी का होगा और जिसे प्राधिकरण वसूल कर सकता है।

18. In the event of surrender of allotment, the following amounts will stand forfeited to Satharia Industrial Development Authority.

आवंटन के समर्पण की दशा में निम्नलिखित धनराशियां सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में जब्त हो जायेगी।

- (a) Interest calculated from the date allotment till the date of surrender of allotment on the total balance premium from time allowing rebate as per the said Table whether or not the payments were made by the due dates.

समय-समय पर शेष कुल भूमि प्रीमियम पर आवंटन की तिथि से समर्पण की तिथि तक ब्याज जिसमें उक्त तालिका के अनुसार छूट अनुम्य होगी, चाहे भुगतान निर्धारित तिथियों के बाद ही क्यों न किए गए हों :

AND/ तथा

- (b) Use and Occupation charges/ Lease Rent, Maintenance charge, water Maintenance charge etc. from the date of allotment to the date of surrender.  
आवंटन की तिथि से समर्पण की तिथि तक भू-उपयोग शुल्क /लीज रेन्ट, रख-रखाव शुल्क, जल रख-रखाव शुल्क आदि।

AND/ तथा

- (c) 5% cost of the shed towards depreciation in the case of sheds constructed and allotted by SIDA.

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा आवंटित शेडों की दशा में निर्मित शेड के कुल मूल्य का 5% मूल्य हिसाब स्वरूप

The balance of deposits of the allottee, if any after adjusting the amounts aforesaid in sub-clause (a) and (b) and also (c), if applicable, will be refundable. In case the total deposits of the allottee fall short of the total of the above deductions, the allottee is liable for payment of the balance which would be recoverable by the SIDA from him.

ऊपर उप स्तर (अ) तथा (ब) और, यदि संगत हो तो, (स) के अनुसार धनराशियां समायोजित करने के बाद, आवंटी द्वारा जमा कुल धनराशियों में से जो भी शेष बचेगा, वह उसे लौटाया जा सकेगा। यदि आवंटी द्वारा कुल धनराशियां उपर्युक्त ढंग से काटी जाने वाली धनराशियों के योग से कम हुई, तो इन दोनों के अन्तर को अदा करने का दायित्व आवंटी का होगा और जिसे प्राधिकरण वसूल कर सकता है।

19. The premium for the allotted land will be chargeable at the rates which are in force on the date on which letter of allotment is issued and not at the rates in force on the date of application or issuance of informal earmarking letter.

आवंटित भूमि का प्रीमियम उस पर देय होगा जो आवंटन-पत्र निर्गत करने की तिथि पर प्रभावी होगा न कि उन दरों पर जो आवेदन करने की तिथि या अनौपचारिक सुरक्षा पत्र निर्गत करने की तिथि पर प्रभावी रहे हों।

20. The allottee will have to make his own arrangements for discharge of effluents of his unit in accordance with the terms and conditions of the State Effluent Board, U.P. Pollution Control Board/ other Competent authority. The allotment will be liable to be cancelled if the effluent is obnoxious/ hazardous to the others in the vicinity. The allottee has also to obtain NOC from U.P. Pollution Control Board.

आवंटी को अपनी इकाई के उत्प्रवाहों के विसर्जन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए उसे प्रदेशीय उत्प्रवाह परिषद/ उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण परिषद/ अन्य सक्षम प्राधिकारी की शर्तें मान्य होंगी। यदि इकाई का उत्प्रवाह आस-पास के लोगों के लिए अहितकर या खतरनाक हुआ, तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी को उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा।

21. The allottee / licences / Lessee of the Authority will mention in the postal address of his correspondence/ letters invariable the name of " Satharia Industrial Area".

प्राधिकरण के आवंटी/ अनुज्ञप्ति धारक/ पट्टेदार अपने पत्राचार/ पत्रों के अपने डाक पते में सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र अनिवार्य रूप से लिखेंगे।

22. In employing labour for the unit skilled, semi-skilled and unskilled, the allottee shall give preference to one or two able bodies persons from the families whose land has been acquired for the purpose of that Industrial Area.

आवंटी अपनी इकाई में कुशल, अर्द्ध कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में उन परिवारों के एक या दो शारीरिक रूप से समर्थ व्यक्तियों को वरीयता प्रदान करेगा, जिसकी भूमि उस औद्योगिक क्षेत्र के स्थापनार्थ अधिग्रहीत की गई हो।

23. The allottee shall also be liable to pay maintenance / service charges in addition to other dues as per the demand made by the SIDA.

अन्य देयों के अतिरिक्त आवंटी को प्राधिकरण द्वारा मांगे गये रख-रखाव शुल्क/सेवा शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

24. The allottee shall have to seek power connection from the Captive power plant only, if it is being put up by the SIDA in any Industrial Area. In that case he shall not be allowed to take power connection from any other agency.

यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट लगाया जाता है तो आवंटी को विद्युत कनेक्शन इसी प्लांट से लेना होगा और उन्हें किसी अन्य एजेंसी से विद्युत कनेक्शन लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

NOTE-The terms & conditions stipulated above are not exhaustive and are only illustrative and are subject to change at any time without notice.

नोट- ऊपर बताई गई शर्तें केवल उदाहरण के लिए हैं और सम्पूर्ण नहीं हैं जिनमें सूचना दिये बिना ही किसी भी समय परिवर्तन किये जा सकते हैं।

Date / दिनांक

Signature of the Applicant

आवेदक के हस्ताक्षर

## CHECK LIST

### जांच सूची

Please ensure whether the following documents have been enclosed with the application form (in duplicate)

(कृपया सुनिश्चित कर लें कि निम्नलिखित अभिलेख सभी दो प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिए गए हैं)

	Yes	No.
1. Bank Draft for Rs. .... towards earnest money and application fee. बयाना धनराशि और आवेदन शुल्क के लिए बैंक ड्राफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Copy of project profile. संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन की प्रति	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Copy of the proposed land utilization plan. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र की प्रति	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Copy of partnership deed / Company - Memorandum and Articles of Association and Certificates of Incorporation, List of shareholders and Directors along with their shareholding/ Certificate of registration of Society, Bye-laws of society, list of members with their addresses साझेदारी विलेख / कम्पनी-पंजीकरण प्रमाण पत्र, मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अंश धारकों एवं निदेशकों की सूची उनके अंश के साथ / सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का प्रपत्र, सोसाइटी के बाइलाज, सदस्यों की सूची उनके पते सहित।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Any other relevant document (please specify) कोई अन्य संगत अभिलेख (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(a) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checked and received

जांच की तथा प्राप्त किया

Signature of the applicant

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature & Date.....

हस्ताक्षर तथा दिनांक.....